भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2256

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 मार्च, 2021 को दिया गया)

दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां

2256. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन करने वाली निजी कंपनियों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या विगत तीन वर्षों में दिवाला और अशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हां, तो उक्त आवेदनों में किन कारणों से वृद्धि हुई है; और
(घ) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन कंपनियों ने अधिकतम (सीएसआर) गतिविधियों का निष्पादन किया है और इसके साथ सीएसआर पर खर्च की गई धनराशि और निष्पदित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): एनसीएलटी के द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 149, वर्ष 2019 में 103 और वर्ष 2020 में 72, कुल मिलाकर 324 कंपनियों ने पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान, दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है।

(ख) और (ग): एनसीएलटी के द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 8330, वर्ष 2019 में 12091 और वर्ष 2020 में 5282 आवेदन आईबीसी के तहत दर्ज किए गए थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विगत तीन वर्षों में आवेदनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

(घ): कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः महीने की अवधि के अंदर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करें। अतः, वित्तीय विवरण तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में प्रकटन संबंधी बोर्ड की रिपोर्ट एजीएम के आयोजन के 30 दिनों की अवधि के भीतर एमसीए21 डाटा बेस में फाइल की जानी अपेक्षित है। इस तरह, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा कोई फाइलिंग नहीं की गई है।

******